

राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, राज. जयपुर

क्रमांक: एफ.14()कैम्पा/अप्रमुवसं/लेखा/व.आ./2022-23/

दिनांक : / / 2022

बजट आवंटन आदेश- 25

वर्ष 2022-23 की स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के मद संख्या-12 **Assisted Natural Regeneration (ANR) (Restocking of Degraded Forest Areas)** के अनुसार वृक्षारोपण एवं वृक्षारोपण संधारण कार्यों को पूर्ण कराने हेतु अधिनस्थ वन मण्डलों को **IFMS** के माध्यम से निम्नानुसार बजट मद में बजट आवंटन किया जाकर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

2406-04-103-04-01-12

2406-Forest & wildlife

04- Afforestation and Ecology Development

103- State Compensatory Afforestation (SCA)

(04)- Net Present Value of Forest Land

(01)- Compensatory Afforestation

12 - Grant in Aid (Other than Salary)

A.P.O ITEM NO. 12 ANR (ii) वृक्षारोपण (प्रथम वर्ष) बजट का आवंटन (लाखों रु में)			
क्र.सं.	कार्यालय का नाम	बजट आवंटन	
		भौतिक (है.) लक्ष्य	वित्तीय आवंटन (@ रु 0.11377/- प्रति है.)
1	उप वन संरक्षक, अजमेर	200	22.75400
2	उप वन संरक्षक, भीलवाड़ा	400	45.50800
3	उप वन संरक्षक, नागौर	100	11.37700
4	उप वन संरक्षक, टोंक	400	45.50800
5	उप वन संरक्षक, भरतपुर	100	11.37700
6	उप वन संरक्षक, धौलपुर	300	34.13100
7	उप वन संरक्षक, सवाई माधोपुर	200	22.75400
8	उप वन संरक्षक, जालौर	300	34.13100
9	उप वन संरक्षक, जयपुर	300	34.13100
10	उप वन संरक्षक, अलवर	600	68.26200
11	उप वन संरक्षक, जयपुर उत्तर	500	56.88500
12	उप वन संरक्षक, झुंझनू	350	39.81950
13	उप वन संरक्षक, सीकर	400	45.50800
14	उप वन संरक्षक, कोटा	400	45.50800
15	उप वन संरक्षक, बांरा	550	62.57350
16	उप वन संरक्षक, बूंदी	450	51.19650
17	उप वन संरक्षक, उदयपुर उत्तर	600	68.26200
18	उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़	600	68.26200
19	उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा	50	5.68850
20	उप वन संरक्षक, डुंगरपुर	400	45.50800
21	उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़	500	56.88500
22	उप वन संरक्षक, उदयपुर	600	68.26200
23	उप वन संरक्षक, उ.क्षे.नि. द्वितीय रण. बाघ. परि. करौली	50	5.68850
24	उप वन संरक्षक, वन्य जीव जयपुर	300	34.13100
25	उप वन संरक्षक, वन्य जीव कोटा	100	11.37700
26	उप वन संरक्षक, वन्य जीव चम्बल सवाई माधोपुर	100	11.37700
27	उप वन संरक्षक, वन्य जीव उदयपुर	300	34.13100
28	उप वन संरक्षक, वन्य जीव चित्तौड़गढ़	300	34.13100
29	उप वन संरक्षक, वन्य जीव राजमसंद	500	56.88500
	योग	9950	1132.01150

A.P.O ITEM NO. 12 ANR (iii) वृक्षारोपण (द्वितीय वर्ष) बजट का आवंटन (लाखों रु. में)

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	बजट आवंटन	
		भौतिक (है.) लक्ष्य	वित्तीय आवंटन (@ रु 0.0.04065/- प्रति है)
1	उ.व.सं. अजमेर	200	8.13000
2	उ.व.सं. भीलवाड़ा	650	26.42250
3	उ.व.सं. नागौर	350	14.22750
4	उ.व.सं. टोंक	300	12.19500
5	उ.व.सं. भरतपुर	350	14.22750
6	उ.व.सं. धौलपुर	400	16.26000
7	उ.व.सं. करौली	400	16.26000
8	उ.व.सं. सवाई माधोपुर	400	16.26000
9	उ.व.सं. हनुमानगढ़	50	2.03250
10	उ.व.सं. जालौर	350	14.22750
11	उ.व.सं. पाली	500	20.32500
12	उ.व.सं. सिरोही	100	4.06500
13	उ.व.सं. जोधपुर	380	15.44700
14	उ.व.सं. जयपुर	350	14.22750
15	उ.व.सं. अलवर	750	30.48750
16	उ.व.सं. दौसा	600	24.39000
17	उ.व.सं. जयपुर (उत्तर)	650	26.42250
18	उ.व.सं. झुंझुनू	650	26.42250
19	उ.व.सं. सीकर	850	34.55250
20	उ.व.सं. कोटा	450	18.29250
21	उ.व.सं. बारां	400	16.26000
22	उ.व.सं. बूंदी	300	12.19500
23	उ.व.सं. झालावाड़	500	20.32500
24	उ.व.सं. उदयपुर (उत्तर)	750	30.48750
25	उ.व.सं. बांसवाड़ा	700	28.45500
26	उ.व.सं. चित्तौड़गढ़	700	28.45500
27	उ.व.सं. डूंगरपुर	600	24.39000
28	उ.व.सं. प्रतापगढ़	600	24.39000
29	उ.व.सं. उदयपुर	700	28.45500
30	उ.व.सं. एवं उ.क्षे.नि (प्रथम) रण. बाघ परि. सवाईमाधोपुर	200	8.13000
31	उ.व.सं. चम्बल राष्ट्रीय अभ्यारण्य सवाई माधोपुर	200	8.13000
32	उ.व.सं. वन्य जीव कोटा	100	4.06500
33	उ.व.सं. वन्य जीव, जयपुर	500	20.32500
34	उ.व.सं. वन्य जीव उदयपुर	350	14.22750
35	उ.व.सं. वन्य जीव चित्तौड़गढ़	350	14.22750
36	उ.व.सं. वन्य जीव राजसमंद	1000	40.65000
	योग	16680,000	678.04200

A.P.O ITEM NO. 12 ANR(iv) वृक्षारोपण (तृतीय वर्ष) बजट का आवंटन (लाखों रु. में)

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	बजट आवंटन	
		भौतिक (है.) लक्ष्य	वित्तीय आवंटन (@ रु 0.02159/- प्रति है.)
1	उ.व.सं. अजमेर	200	4.31800
2	उ.व.सं. भीलवाड़ा	400	8.63600
3	उ.व.सं. नागौर	200	4.31800
4	उ.व.सं. टोंक	400	8.63600
5	उ.व.सं. भरतपुर	350	7.55650
6	उ.व.सं. करौली	400	8.63600
7	उ.व.सं. सवाई माधोपुर	300	6.47700
8	उ.व.सं. इ.गा.न. परि. स्टेट-I छतरगढ़	200	4.31800
9	उ.व.सं. जालौर	400	8.63600
10	उ.व.सं. पाली	400	8.63600
11	उ.व.सं. सिरोही	300	6.47700
12	उ.व.सं. जयपुर	300	6.47700
13	उ.व.सं. अलवर	300	6.47700
14	उ.व.सं. दौसा	200	4.31800
15	उ.व.सं. जयपुर (उत्तर)	300	6.47700
16	उ.व.सं. झुंझुनू	400	8.63600
17	उ.व.सं. सीकर	400	8.63600
18	उ.व.सं. कोटा	350	7.55650
19	उ.व.सं. बारां	300	6.47700
20	उ.व.सं. बूंदी	300	6.47700
21	उ.व.सं. झालावाड़	200	4.31800
22	उ.व.सं. उदयपुर (उत्तर)	400	8.63600
23	उ.व.सं. बांसवाड़ा	400	8.63600
24	उ.व.सं. चित्तौड़गढ़	500	10.79500
25	उ.व.सं. इंगरपुर	400	8.63600
26	उ.व.सं. प्रतापगढ़	300	6.47700
27	उ.व.सं. उदयपुर	250	5.39750
28	उ.व.सं. एवं उ.क्षे.नि (प्रथम) रण. बाघ परि. सवाईमाधोपुर	200	4.31800
29	उ.व.सं. एवं उ.क्षे.नि (द्वितीय) रण. बाघ परि. करौली	200	4.31800
30	उ.व.सं. वन्य जीव, जयपुर	200	4.31800
31	उ.व.सं. वन्य जीव चित्तौड़गढ़	300	6.47700
32	उ.व.सं. वन्य जीव राजसमंद	200	4.31800
	योग	9950	214.8205

A.P.O ITEM NO. 12 ANR (IV) वृक्षारोपण (चतुर्थ वर्ष) बजट का आवंटन (लाखों में)

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	बजट आवंटन	
		भौतिक (है.) लक्ष्य	वित्तीय आवंटन (@ रु 0.02159/- प्रति. है.)
1	उ.व.सं. अजमेर	100	2.15900
2	उ.व.सं. भीलवाड़ा	200	4.31800
3	उ.व.सं. टोंक	200	4.31800
4	उ.व.सं. भरतपुर	200	4.31800
5	उ.व.सं. धौलपुर	200	4.31800
6	उ.व.सं. करौली	200	4.31800
7	उ.व.सं. सवाई माधोपुर	200	4.31800
8	उ.व.सं. बाडमेर	100	2.15900
9	उ.व.सं. जालौर	200	4.31800
10	उ.व.सं. पाली	200	4.31800
11	उ.व.सं. सिरोही	200	4.31800
12	उ.व.सं. जयपुर	200	4.31800
13	उ.व.सं. अलवर	200	4.31800
14	उ.व.सं. दौसा	100	2.15900
15	उ.व.सं. जयपुर (उत्तर)	250	5.39750
16	उ.व.सं. झुंझुनू	300	6.47700
17	उ.व.सं. सीकर	300	6.47700
18	उ.व.सं. कोटा	100	2.15900
19	उ.व.सं. बारां	100	2.15900
20	उ.व.सं. बूंदी	100	2.15900
21	उ.व.सं. झालावाड़	200	4.31800
22	उ.व.सं. उदयपुर (उत्तर)	300	6.47700
23	उ.व.सं. बांसवाड़ा	300	6.47700
24	उ.व.सं. चित्तौड़गढ़	300	6.47700
25	उ.व.सं. डूंगरपुर	300	6.47700
26	उ.व.सं. प्रतापगढ़	300	6.47700
27	उ.व.सं. उदयपुर	200	4.31800
28	उ.व.सं. एम.एन.पी कोटा	100	2.15900
29	उ.व.सं. वन्य जीव, जयपुर	100	2.15900
30	उ.व.सं. वन्य जीव चित्तौड़गढ़	150	3.23850
31	उ.व.सं. वन्य जीव राजसमंद	100	2.15900
	योग	6000	129.54000
	महायोग		2154.41400

सामान्य शर्तें:

- 1 इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ.14()ए.पी.ओ./2022-23/कैम्पा/अप्रमुवसं/2915-27 दिनांक 18.05.2022 में वर्णित शर्तों की अनुपालना किया जाना सुनिश्चित हो।
- 2 उप वन संरक्षक बजट आवंटन करने से पूर्व वृक्षारोपण की जीवित प्रतिशतता अनुसार ही व्यय होना सुनिश्चित करे।
- 3 उप वन संरक्षक यह सुनिश्चित करे कि निर्धारित मापदण्ड के अनुसार जीवितता प्रतिशतता तथा जिन वृक्षारोपण में जीवितता प्रतिशत निर्धारित मापदण्ड से कम है उसमें प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान परिपत्र एफ 7 (24) 02-03/विवृक्षाका/प्रमुवसं/10401 दिनांक 31.3.2004 की पालना सुनिश्चित करे।

- 4 कैम्पा मद के अर्न्तगत आवंटित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व संबंधित ग्राम सभा/VPFMC/EDC से सहमति प्राप्त कर ही कार्य प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित करें।
- 5 उप वन संरक्षकगण कृपया सुनिश्चित करें कि कैम्पा मद के अर्न्तगत आवंटित बजट का व्यय अनुमोदित कार्य योजना/वन्य जीव प्रबंधन योजना में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार हो।
- 6 आवंटित बजट का व्यय कैम्पा Guidelines o Compensatory Afforestation Fund Act. 2016 (CAF act) तथा Compensatory Afforestation Fund Rules, 2018(CAF rules). के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जावे।
- 7 आवंटित बजट से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।
- 8 उक्त आवंटन के विरुद्ध यदि किसी राशि का उपयोग संभव नहीं हो तो राशि शीघ्र इस कार्यालय को मय औचित्य समर्पित कर दी जावे।
- 9 आवंटित बजट की राशि का आहरण केवल तभी किया जाये जब स्वीकृत कार्य से सम्बन्धित व्यय का भुगतान किया जाना हो क्योंकि स्टेट कैम्पा का अकाउन्ट ब्याज बियरिंग हैं।
- 10 आवंटित राशि जिस उद्देश्य/कार्य के लिए आवंटित की गई है उसी उद्देश्य/कार्य के लिए नियमानुसार ही व्यय की जावे तथा इसमें से किसी भी तरह का प्रशासनिक व्यय सम्मिलित नहीं किया जावे।
- 11 कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी की जावे। समस्त कार्यों के लेखा एवं अन्य रिकॉर्ड Manual of Guidelines and Accounting procedures relating to State CAMPA/ IFMS Accounting Rule एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुरूप कैम्पा का लेखा कार्पोरेट अकाउंटिंग के आधार पर सीएजी द्वारा प्रेषित प्रपत्रों में संघारित करें। लेखों के आडिट महालेखाकार द्वारा की जावेगी।
- 12 उप वन संरक्षक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक व्यय का मासिक लेखा अपने नियंत्रक अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।
- 13 संबंधित मुख्य वन संरक्षक उनके अधीन वन मण्डलों से 5 तारीख तक लेखा प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह की 10 तारीख तक समस्त वन मण्डलों के लेखे संकलित कर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्रों में अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा कैम्पा अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के रजिस्टर का संधारण कार्यालय मुख्य वन संरक्षक स्तर पर भी कराया जावे।
- 14 बजट, उपयोग के संबंध में समय-समय पर इस कार्यालय राज्य सरकार द्वारा प्रसारित समस्त निर्देशों की पालना की जावे।
- 15 कैम्पा के आवंटित बजट उन्हीं कार्यों पर व्यय संपादित किया जावे जहां अन्य योजनाओं के इसी प्रकार के कार्य प्रस्तावित नहीं हो, जिससे योजनाओं में परस्पर Overlapping से बचा जा सके।
- 16 कैम्पा मद में सामग्री क्रय की कार्यवाही सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के तहत की जावेगी तथा क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज विभागीय स्टोर पंजिका में किया जावे एवम् विभाग की प्रचलित पद्धति अनुसार लेखा-जोखा रखा जावेगा।
- 17 कैम्पा मद के अर्न्तगत नये कार्यस्थलों की सूची मय GPS Coordinates के ई-ग्रीनवॉच पोर्टल पर अपलोड करना तथा सूचना भिजवाना सुनिश्चित किया जावे।
- 18 वन्यजीव क्षेत्रों में कराये जाने वाले सिविल कार्य, वन्यजीव प्रबंधन योजना में दिये गये प्रावधानों के अनुसार हो।

(शिखा मेहरा)

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ.14()कैम्पा/अप्रमुवस/लेखा/व.आ./2022-23/ 4354-4447

दिनांक 14/6/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), राजस्थान, जयपुर।
- 2 अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
- 3 मुख्य वन संरक्षक - अजमेर /भरतपुर/बीकानेर/जोधपुर/जयपुर /कोटा/उदयपुर/वन्य जीव - सवाईमाधोपुर/जोधपुर/जयपुर/कोटा/उदयपुर/बाघ परियोजना सरिस्का अलवर को प्रेषित कर लेख है कि समय-समय पर कैम्पा के कार्यों का निरीक्षण करें एवं राशि जिस कार्य हेतु आवंटित की जा रही है उसी कार्य पर व्यय किया जाना तथा वांछित रिकार्ड पूर्ण करवाना भी सुनिश्चित करवायें।

- 4 उप वन संरक्षक- अजमेर/भीलवाडा/नागौर/टोंक/भरतपुर/धौलपुर/करौली/सवाईमाधोपुर / हनुमानगढ़/इ.गा.न.परि. स्टे-1 छतरगढ़/बाड़मेर/जालोर/पाली/सिरोही /जयपुर/अलवर /दौसा / जयपुर उत्तर/झुझुनू/सीकर/कोटा/बारां/झालावाड़/उदयपुर उत्तर/ बांसवाड़ा/ चित्तौडगढ़ /डूंगरपुर /प्रतापगढ़/उदयपुर/वन्य जीव -रणथम्भौर बाघ परि. (प्रथम) सवाईमाधोपुर /रणथम्भौर बाघ परि. (द्वितीय) करौली/चम्बल राष्ट्रीय अभ्यारण्य सवाई माधोपुर/एम.एन.पी. कोटा/जयपुर/चित्तौडगढ़ /राजसमंद।
- 5 सहा. सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय हाजा (CAMPA) को मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन में संकलन किये जाने हेतु।
- 6 सूचना सहायक कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 7 रक्षित पत्रावली।

(आकांक्षा जोशी)
उपवन संरक्षक (कैम्पा),
राजस्थान, जयपुर।